



३६५१

दूरगांध— 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2677 / 05/76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक: 24 सितम्बर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-मथुरा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा छूटा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को बीएसयूपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
सिंडीफैट बैंक	8868220004403	IFSC Code SYNB0008868	669.441

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण					वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि
			1	2	3	4	5					
मथुरा/मथुरा	अनु० 37/83 पीएलए	530 / 157	126.340		7.590	133.930	0.000	133.930				
मथुरा/मथुरा	अनु० 37/83 पीएलए	534 / 274	65.430		13.290	78.720	0.000	78.720				
मथुरा/मथुरा	अनु० 37/83 पीएलए	608/ 482	620.966		15.625	636.591	179.800	456.791				
	योग		812.736		36.505	849.241	179.80	669.441				

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि में गोपाल नगर की 560 आवासों की परियोजना में अधिक्य अवमुक्त धनराशि रु० 179.80 लाख के समायोजनोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त की गयी है अर्थात् योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि का व्यय बीएसयूपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मर्दों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि रवीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिर्दशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवहरण अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्ययतीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व दूड़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-



२५/२

दूरध्वाप 2286709

2286710

नव घेताना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- 1- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की ढीपीआर के आधार पर प्राथमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- 2- दिसम्बर 2015 तक प्रथेक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- 3- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- 4- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करने होंगे।
- 5- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर छूटा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।
- 6- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सकार के निर्देशानुसार परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय को छूटा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- 7- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०वी०) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

भवदीप
(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

लल
(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी-सूडा।
3. परियोजना अधिकारी-सूडा।
4. कम्यूटर रोल/लेखा विभाग-सूडा।